<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री फूड फैट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 288 / 68, आर्या नगर, नाका हिन्डोला, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक	**34 / 12, 28.05.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ए0 के0 एस0 मुर्थी, वाइस प्रेसीडेण्ट।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या-34 / 2012, दिनांक 28.05.2012 प्रस्तुत करते हुए Industrial / Bakery Grade Margarine, Vegetable Fat Spread, Table Margarine पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2. प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु फर्म की ओर से वाइस प्रेसीडेण्ट- श्री ए0 के0 एस0 मुर्थी उपस्थित हुए। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण व बिक्री का व्यापार किया जाता है। ये सभी वस्तुएं Margarine हैं। इनका निर्माण आन्ध्र प्रदेश स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है तथा उत्तर प्रदेश राज्य में डिपो के माध्यम से बिक्री की जाती है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-II की प्रविष्टि संख्या-43, 130 और 131 में क्रमश: Edible oil, Vanaspati (Hydrogeneted Vegetable oil), Vegetable oil including gingili oil and bran oil की प्रविष्टि दी गयी है। इसमें Margarine का उल्लेख नहीं है। Vanaspati और Margarine, Hydrogeneted Vegetable oil हैं। Vanaspati में moisture कम होने के कारण सीधे कुकिंग में प्रयोग किया जाता है तथा Margarine अधिक moisture युक्त Hydrogeneted Vegetable oil होने के कारण सीधे Consume करने के साथ-साथ ही बेकरी इण्डस्ट्रीज में cake, puffs, biscuits, buns आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। Margarine दो प्रकार का होता है 1. Edible Vegetable oil से बनने वाला Margarine तथा 2.Animal Fat से बनने वाला Margarine (मार्गरीन)। प्रार्थी द्वारा केवल Edible Vegetable oil से Margarine का निर्माण करके बिक्री की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M/s Aluva Sugar Agency Versus State of Kerala CIVIL APPEAL NO. 7731 OF 2011 के मामले में अपने निर्णय दिनांक 07.09.2011 द्वारा Edible Vegetable oil से निर्मित Margarine को Edible oil की श्रेणी में माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में निम्नलिखित राज्यों द्वारा Edible oil / Hydrogeneted Vegetable oil के अन्तर्गत Margarine को करयोग्य माना है :-

दिल्ली वैट एक्ट की धारा-84 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा कमिश्नर वैट, दिल्ली के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए Margarine / Vegetable Fat Spread पर करदेयता पूछी गयी थी। कमिश्नर वैट, दिल्ली द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

" Keeping in view the judgment dated 07.09.2011 of the Apex Court, in Civil Appeal No.

7731 / 2011, it is concluded that margarine made of vegetable oils is covered under entry No. 25, 74 and 75 of Third Schedule hence taxable at the rate of 5%. The table margarine made of animal fats is an unclassified good attracting tax at the rate of 12.5% under section 4 (1) (e) of the DVAT Act, 2004. Held accordingly. "

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सेल्स टैक्स अपील संख्या-26 / 2010 The Addl. Commissioner vs. M/s Bunge India Pvt. Ltd. Andheri (East) Mumbai में मार्गरीन को वनस्पति मानते हुए 4% की दर से करदेयता मान कर निर्णय किया गया है।

" Thus we hold that the view taken by the Tribunal that margarine is vanaspati and it is to be classified under entry C-100 and taxable @ 4% is a legal and correct view and can not be faulted out. "

आन्ध्र प्रदेश APVAT की धारा-67 के अन्तर्गत M/s Gemini Edibles and Fats India Private Limited Banjara Hills, Hyderabad द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए Margarine पर करदेयता पूछी गयी थी। ज्वाइन्ट कमिश्नर APVAT द्वारा अपने आदेश संख्या-48, दिनांक 10.11.2011 पारित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2011 के आलोक में Margarine को Hydrogeneted Vegetable oil मानते हुए 4% की दर से करदेयता मानी है।

" Therefore it is clarified that the margarine made of vegetable oils is covered under entry 66 / 67 of Schedule IV to the AP VAT Act, 2005 attracting tax @ 4%. The margarine made of animal fats are covered under residuary entry to the Schedule V of the APVAT Act, 2005 attracting tax @ 14.5%. "

माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या-12918 / 2012 में निर्णय दिनांक 07.06.2012 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का हवाला देते हुए मार्गरीन को इडिबिल ऑयल मानते हुए 4% की दर से करदेयता मानी है।

" the decision reported in (2011) 45 VST 1, (Aluva Sugar Agency vs. State of Kerala) whereby the earlier decision rendered by this Court in State of Kerala vs. Aluva Sugar Agency [(2011) 8 VST 726] was overruled and it was declared that the commodity margarine is an edible oil, which will attract only a lesser rate of tax at 4%. "

डिप्टी कमिश्नर कामर्शियल टैक्स, बंगलौर द्वारा प्रार्थी के ही मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 07.09.2011 के आलोक में दिनांक 30.11.2012 को निर्णय पारित करते हुए इडिबिल ऑयल के अन्तर्गत करदेयता मानी गयी है।

अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में Edible Vegetable oil से निर्मित Margarine पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत भी Edible oil / Hydrogeneted Vegetable oil की

भॉति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त दर से करदेयता होनी चाहिए। तद्नुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन द्वारा पत्रांक-849, दिनांक 04.07.2012 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें यह कहा गया है माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय M/s Aluva Sugar Agency Versus State of Kerala, केरला जनरल सेल्स टैक्स एक्ट-1963 के वस्तुओं के वर्गीकरण (अनुसूची प्रथम के क्रमांक-90 व अनुसूची द्वितीय के क्रमांक 17-ए) पर आधारित है। मार्गरीन एक इण्डस्ट्रियल इनपुट है जिसमें बेकरी इण्डस्ट्री में केक, पफ्स, बिस्कुट, बन्स आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II भाग-ग के क्रमाांक-264 से सम्बन्धित है जिसमें इण्डस्ट्रियल / बेकरी ग्रेड मार्गरीन, वेजिटेबल फैट स्प्रेड, टेबल मार्गरीन वर्गीकृत नहीं है। यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II में निम्नवत प्रविष्टियॉ दी गयी है :-

भाग-ए क्रमांक-43	Edible oils snd oilcake.
भाग-ए क्रमांक-130	Vanaspati (Hydrogeneted Vegetable oil)
भाग-ए क्रमांक-131	Vegetable oil including gingili oil and bran oil
भाग-सी क्रमांक-264	Barley Malt. yeast, gel (cake improver), bread improver, bakerymix, baking

सामान्य रूप से इण्डस्ट्रियल / बेकरी ग्रेड मार्गरीन, वेजिटेबल फैट स्प्रेड, टेबल मार्गरीन आदि न तो खाद्य तेल हैं और न ही वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II भाग-सी में भी इण्डस्ट्रियल / बेकरी ग्रेड मार्गरीन, वेजिटेबल फैट स्प्रेड, टेबल मार्गरीन को सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करदेयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/s Aluva Sugar Agency Versus State of Kerala के निर्णय दिनांक 07.09.2011 से वेजिटेबल ऑयल से निर्मित मार्गरीन को वेजिटेबल ऑयल के अन्तर्गत माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में दिल्ली, बॉम्बे, आन्ध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक राज्यों द्वारा उक्त Margarine को Edible oil / Hydrogeneted Vegetable oil की श्रेणी में मानते हुए करदेयता मानी है। तदनुसार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-43 में वर्णित Edible oil के अन्तर्गत केवल Edible Vegetable oil से निर्मित Margarine पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निश्चित की जा सकती है। एनिमल फैट से निर्मित मार्गरीन उक्त मार्गरीन से भिन्न होगी और इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन की आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। M/s Aluva Sugar

Agency Versus State of Kerala के निर्णय दिनांक 07.09.2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Edible Vegetable oil से निर्मित Margarine को Edible oil के अन्तर्गत माना है। तदनुसार Edible Vegetable oil से निर्मित Margarine पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II भाग-ए के क्रमांक-43 पर Edible oil की भाँति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। एनिमल फैट से निर्मित मार्गरीन इस श्रेणी में नहीं आयेगी और उस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता रहेगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 जनवरी, 2013

ह0 / 14.01.2013

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।